विभाग का नाम : कार्यालय आयुक्त उद्योग

विभाग का पता : कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली–110092

अतारांकित प्रश्न संख्या : 65

दिनांक : 29.07.2021

प्रश्नकर्ता : श्री जय भगवान उपकार

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :–

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क	बवाना औद्योगिक एरिया के विकास व उस क्षेत्र के लोगों के रोजगार के लिए पिछले 3 वर्षो में सरकार द्वारा क्या–क्या परियोजना लाई गई है, पूर्ण विवरण दें?	डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा पिछले 3 वर्षो के दौरान बवाना औद्योगिक क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है: 1. बवाना औद्योगिक संपदा का अनुरक्षण एवं विकास कार्य रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020–2021 के दौरान सभी सेक्टरों की आंतरिक सड़को को कारपेटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 2. पिछले तीन वर्षो में डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित छूट एवं समय सीमा का प्रसार किया है। जिससे की ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक स्थापित हो सके और उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके : **i)** शेष प्लाटों की बकाया राशि के भुगतान हेतू समय सीमा का दिनांक 29.12.2020 तक विस्तार करना और उसके पश्चात् प्लाटो का कब्जा प्रदान करना। **ii)** कब्जाधारी आबंटियों को ब्याज में 30 से 50 प्रतिशत कि एक बार छूट निर्धारित समय सीमा में भुगतान करने हेतू प्रदान करना जैसा कि आर्डर दिनांक 14.08.2020 में अंकित है।

		iii) कोविड 19 महामारी की वजह से आवंटियों को लीज/भूमि रेन्ट के भुगतान हेतु बकाया राशि जो 1 जुलाई, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक देय था सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ब्याज में डी.एस.आई.आई. डी.सी. के प्लॉटों/ शेडो/फ्लैटेड कारखानों/ खोखो में निश्चित अवधि तक निम्नलिखित छूट प्रदान की गई थी : तदोपरांत भूमि/लीज रैन्ट जोकि अग्रिम भुगतान वर्ष के दूसरी छमाही में देय था (जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक) का भुगतान 15 अक्टुबर तक बिना दंड ब्याज के करने के लिये किया गया था। यह सुविधा आबंटियों के लिए स्वैच्छिक था अथवा आबंटी समय से भी भुगतान कर सकते थे। 3. वर्ष 2019–20 में ई–नीलामी के माध्यम से तीन वाणिज्यिक भूखंड आवंटित किए गए है (दो प्लॉट मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ईंधन स्टेशनों के लिए और एक प्लॉट वेट ब्रिज के लिए)। 4.. वर्ष 2020–2021 में 36 कियोस्क ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए है। 5. एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के एमएसई–सीडीपी के तहत खाद्य उद्योग कल्याण संघों को सामुहिक सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु डी.एस. आई.आई.डी.सी. बोर्ड द्वारा भूमि प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

(विनोद कुमार)
उपायुक्त उद्योग